**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 17 / 2019 (उदयपुर डिक्री)**

नाथूलाल पिता माणकलाल कलाल (चौधरी), निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोतीलाल पिता लालचन्द खरवड महाजन, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पटवारी, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 27.05.2016 प्र.सं. 267 / 15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली में आराजी नंबर 1601 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 71200 / 73180 हिस्सानुसार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 29–01–1979 को उक्त आराजी में से एक भूखण्ड 28 x 11.3 कुल 202.6 वर्गफीट का वादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिस पर वादी की

दो पक्की पट्टी पोश दुकाने बनी होकर उसका कब्जा है, किन्तु विक्रय में सहवन से आराजी नंबर का अंकन करना रह जाने से वादी के नाम अंकित नहीं हो सकी। वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूखण्ड का खातेदार हो चुका है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 में पड़ोसों के मध्य अंकित भूखण्ड का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रख कर अपने निर्णय दिनांक 27–05–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, जिससे समयावधि में वे अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 28–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 2 माह वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट का क्रय शुदा भूखण्ड पर वर्ष 1979 से निरन्तर कब्जा होने से वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुका है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामें की भावनाओं को नजर अंदाज करते हुए राजीनामें अनुसार वाद डिक्री नहीं करने में त्रुटि की

है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि विक्रय पत्र में कहीं पर भी आराजी नंबर का उल्लेख नहीं है तथा विक्रय पत्र में आराजी के हिस्से का अंकन नहीं होकर केवल वर्गफीट का अंकन है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि भूमि आबादी है अथवा कृषि। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूखण्ड को कृषि भूमि नहीं मानकर वादी का वाद खारिज किया है, जो उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार होने से हम उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानूनन में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है, तद्नुसार भी अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

**नाथूलाल पिता माणकलाल कलाल (चौधरी), निवासी मावली, तहसील जिला उदयपुर** बनाम **मोतीलाल पिता लालचन्द खरवड महाजन, निवासी मावली, तहसील जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**17/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**05**.....**2016**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेश शर्मा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:51:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: